संख्या–1435/XIX/अन्नपूर्णा/2005

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभागः

देहरादूनः दिनॉकः 21 नवम्बर, 2005

विषयः अन्नपूर्णा योजना के क्रिन्यावयन हेतु वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक–आ0ले0शा0/27/अन्नपूर्णा/2005, दिनांक–15 जनवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश संख्या–4–2/2005–BP–II दिनांक–6 अप्रैल, 2005 में बी0पी0एल0 दर पर अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2005–2006 के लिए आवंटित खाद्यान्न के लिए केन्द्र पोषित अन्नपूर्णा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 80,00,000.00 (रूपये अस्सी लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– योजना के सुचारू संचालन/क्रार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–440+खाद्य/अन्नपूर्णा योजना/2001, दिनांक–04 अक्टूबर, 2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अन्नपूर्णा योजना के जनपदवार संशोधित लाभार्थियों की सूचना वित्त नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर जनपदवार आवंटन किया जायेगा तथा योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय वजट मैनुअल, वित्तीय हस्त–पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में शासन के आदेश, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

5– व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य योजना पर धनराशि का व्यय कदापि नही किया जायेगा।

6– आगामी किस्त का प्रस्ताव भेजे जाने से पूर्व इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवम भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि का भी विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। राज्य से उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने का समस्त दायित्व वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी का ही माना जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वितत्तीय वर्ष 2005–2006 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 3456–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01–अन्नपूर्णा योजना–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

NIC 1091

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–42/वित्त विभाग–5/2005, दिनांक–14 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या–1435 (1)/XIX/अन्नपूर्णा/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तरांचल, ओबरॉय भवन माजरा, देहरादून।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
7. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
8. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तरांचल।
9. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
10. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
11. समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग/समाज कल्याण अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।